


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052024-254329
CG-DL-E-24052024-254329

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2024/ज्येष्ठ 3, 1946
No. 2004] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2024/JYAISHTHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मई, 2024

का.आ. 2103(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1790(अ) तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 23 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"24	2024-25	363"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[फा. सं. 44/2024/फा0सं0 370142/10/2024-टीपीएल]

पंकज जिन्दल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2571(अ) तारीख 12 जून, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2024

INCOME-TAX

S.O. 2103(E).— In exercise of the powers conferred by clause (v) of the *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Table

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
“24	2024-25	363”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025 and shall accordingly apply in relation to the assessment year 2025-26 and subsequent assessment years.

[F. No. 44/2024/F.No.370142/10/2024-TPL]

PANKAJ JINDAL, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017 and was last amended by notification number S.O. 2571(E), dated the 12th June, 2023.